संख्या:146/2026/922/35-4-2026/35-4099/185/2024-Part(2)

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 25 मई, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद- गोरखपुर में सड़क निर्माण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-50/2025/382/35-4-2025/35-4099/185/2024, दिनांक: 30 मार्च, 2025 द्वारा स्वीकृत 05 कार्यों की रू0 923.64 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रू0 461.81 लाख अवमुक्त की गयी है। उक्त स्वीकृत 05 कार्यों में से 04 कार्यों की लागत रू0 613.12 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0 513.54 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- आपके पत्रांक-1346/त्व0आ0वि0यो0/2025-26, 21 फरवरी, 2026, पत्रांक-09/त्व0आ0वि0 यो0/2025-26 दिनांक 01.04.2026 एवं पत्रांक-119/त्व0आ0वि0यो0/2026-27, दिनांक 27 अप्रैल, 2026 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत प्रश्नगत 04 कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय होना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक: 30 मार्च, 2025 से स्वीकृत कार्यों में से 04 कार्यों की लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 299.43 लाख (रूपये दो करोड़ निन्यानबे लाख तैतालीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	निविदा उपरान्त कार्य की लागत	जीएसटी की धनराशि	निविदा उपरान्त कार्य की लागत (जीएसटी सहित)	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	वार्ड नं0-39 गायघाट में गायघाट पिच रोड से रामपुर सी०सी० रोड तक व जे०पी० तिवारी के मकान से अतुल शाही के आगे तक एवं नीलम न्यू लाईट एकेडमी के पास विभिन्न गलियों में सी०सी० रोड एवं आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	306.84	256.82	46.23	303.05	153.42	149.63
2	वार्ड नं0-59 में अधियारी बाग दक्षिणी में देवाशीष मुखर्जी के मकान से विनय कुमार गौतम के घर तक विभिन्न गलियों में कवर्ड नाली एवं सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	59.94	50.33	9.06	59.39	29.97	29.42
3	वार्ड नं0-59 जाफर बाजार में शनिदेव मंदिर से श्रीराम मेडिकल स्टोर होते हुए अधियारी बाग तिराहा निकट मद्धेशिया टेड्र्स तक हॉट मिक्स प्लांट से पिच सड़क	118.69	99.65	17.94	117.59	59.34	58.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	निविदा उपरान्त कार्य की लागत	जीएसटी की धनराशि	निविदा उपरान्त कार्य की लागत (जीएसटी सहित)	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
	निर्माण कार्य।						
4	वार्ड नं0-10 में महेसरा चुंगी से अंकुर पाल के घर तक हॉट मिक्स प्लांट से पिच सड़क व कवर्ड नाली और साइट पटरी निर्माण कार्य।	127.65	106.74	19.21	125.95	63.82	62.13
	योग	**613.12**	**513.54**	**92.44**	**605.98**	**306.55**	**299.43**

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2025 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2027 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ० प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये. 2,99,43,000/-(रूपये दो करोड़ निन्यानबे लाख तैतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370304 शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:146/2026/922(1)/ 35-4-2026/35-4099/185/2024-Part(2) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
6- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मंडल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोरखपुर।
15- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।